



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169]
No. 169

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 1983/वैशाख 15, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 1983/VAISAKHA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1983

सं० 140/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० क्रि० नि० 376 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं० 38/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
और 39/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 की अधिकांश
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944
का 1) की प्रस्तावित अनुसूची की मद सं० 14ख के अन्तर्गत आने वाली
प्रसाधन यमर्था और प्रसाधन निमित्तियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्
उक्त माल कहा गया है), जिनकी निकासी किसी विनिर्दिष्ट द्वारा या
उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपयोग के लिए किसी
वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल की या उसके पश्चात् की जाती है,—

(क) पांच लाख रुपए से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल
की प्रथम निकासी की दशा में, उक्त अधिनियम की धारा
3 के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से,
और

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मूल्य की उक्त प्रथम निकासी के ठीक
अगले दस लाख रुपए से अधिक के कुल मूल्य के उक्त माल
की निकासी की दशा में, [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944
के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और
तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित] उक्त अधि-
नियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घाटनीय उक्त उत्पाद
शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत से
अधिक है.

छूट देती है :

परन्तु एक या अधिक विनिर्दिष्टों द्वारा या उनकी ओर से किसी
कारखाने से,—

(1) इस पैरा के खण्ड (क) के और भारत सरकार के वित्त
मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 38/83-केन्द्रीय
उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 के, और

(2) इस पैरा के खण्ड (ख) के और भारत सरकार के वित्त
मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 39/83-केन्द्रीय
उत्पाद-शुल्क, तारीख, मार्च, 1983 के, नियमों के अनुसार
शुल्क की रिहायशी दर पर उक्त माल की निकासी का कुल
मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में त्रिसप्त पांच लाख रुपए और पत
लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी,—

- (क) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो,
- (2) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो।

3. जहाँ किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी,—

(क) यदि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस धारणा की घोषणा काशन कर देता है कि—

- (1) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक होना की सम्भावना नहीं है, और
- (2) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक होना की सम्भावना नहीं है, और

(ख) (1) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है, और

(2) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है।

4. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी,—

- (1) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर किसी कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो,
- (2) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो।

5. जहाँ उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट लागू नहीं होगी,—

- (1) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है,

(2) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “मूल्य” शब्द से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अन्वयार्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) का धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2— इस अधिसूचना के अधिनियम की निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद शुल्क माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहाँ उस पर उद्ग्रहणीय सम्पत्ति उत्पाद शुल्क से दो गई छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है), उस पर उद्ग्रहणीय सम्पत्ति उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, हिसाब में नहीं ली जाएगी।

[कांस० बी 29/2/83--टी०आर०यू०]

बी० लक्ष्मीकुमारन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 1983

NO. 140/83-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Nos. 38/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983 and 39/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, the Central Government hereby exempts cosmetics and toilet preparations, falling under Item No. 14F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said goods), and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories.—

(a) in the case of first clearances of the said goods upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act; and

(b) in the case of clearances of the said goods of an aggregate value not exceeding rupees ten lakhs immediately following the said first clearances of the value specified in clause (a), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act [read with any relevant notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in force for the time being] as is in excess of fifty per cent of such duty;

Provided that the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at the concessional rates of duty in terms of—

(i) clause (a) of this paragraph and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 38/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, and

- (i) clause (b) of this paragraph and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983 shall not, exceed rupees five lakhs and rupees ten lakhs respectively in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacture,—

- (i) if the aggregate value of clearance of all excisable goods by him on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs;
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer.—

- (a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise,—
- (i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during financial year is not likely to exceed rupees twenty lakhs, and
- (ii) that the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs, and
- (b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs.

4. Nothing contained in this notification shall apply,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs.
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

5. Where the said goods, have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees fifteen lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification the expression "value" means the value as determined in accordance with the provision, of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account.

[F. No. B. 29/2/83-TRU]

V LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

